



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2019/चैत्र 6, 1941

No. 213]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2019/ CHAITRA 6, 1941

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2019

सा.का.नि. 240(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह I तथा समूह II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में, जहां तक उनका संबंध क्र.सं. 23 पर सहायक अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर, क्र.सं. 36 पर उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर, क्र.सं. 40 पर अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर तथा क्र.सं. 32 पर निदेशक (संरक्षण) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कतिपय समूह 'क' तथा समूह 'ख' राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संरक्षण संवर्ग (समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य बर्हताएं, आदि :- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर	27* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचित	स्तर 7	चयनित पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा।	सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली। प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ संरक्षण सहायक जिन्होंने स्तर-6 में पांच वर्ष की श्रेणी में नियमित सेवा की है और पुरातत्व संरक्षण में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पणी 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ; (1) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण — अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(2) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण) अथवा निदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	- सदस्य
(3) निदेशक (प्रशासन) अथवा उप निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर	25* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-10	चयनित पद	35 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगा। ना कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख उपखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी में बेचलर डिग्री (ii) सरकारी सेक्टर अथवा पुरातत्व अथवा धरोहर स्थल में सिविल इंजीनियरी के कार्यों योजना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के प्रयास संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	आयु: नहीं। शिक्षिक अर्हताएं कॉलम 11 में वर्णित अनुसार	दो वर्ष

(10)	(11)
60% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और 40% सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसे सहायक अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर जिन्होंने स्तर-7 ग्रेड के वेतन मैट्रिक्स में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिनके पास कम से कम सिविल इंजीनियरी डिप्लोमा है और पुरातत्ववीय संरक्षण में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	<p>प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संबिदा सहित) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-7 वेतन मैट्रिक्स में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो सीधी भर्ती के लिए स्तंभ 7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) सचिव/संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य (3) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति:</p> <p>(1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय – अध्यक्ष (2) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य (3) संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्येक अवसर पर परामर्श आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर	9* (2019) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-11	चयनित पद	40 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: भारत के आवेदकों की आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख है (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री;</p> <p>(ii) सरकारी उपक्रम अथवा पुरातत्व अथवा धरोहर स्थल में सिविल इंजीनियरी के कार्यों योजना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव के पर्यवेक्षण में आठ वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती हैं।</p>	<p>आयु: नहीं।</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: हों।</p>	<p>सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष</p>

(10)	(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:</p> <p>ऐसे उप अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर जिन्होंने स्तर-10 वेतन मैट्रिक्स श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है तथा पुरातत्वीय संरक्षण में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-10 वेतन मैट्रिक्स में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित</p>

	किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी क्या संरचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>(1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय – अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य</p> <p>(3) अपर महानिदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p> <p>(4) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति:</p> <p>(1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय – अध्यक्ष</p> <p>(2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय – सदस्य</p> <p>(3) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p> <p>(4) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण – सदस्य</p>	सीधी भर्ती तथा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. निदेशक (संरक्षण)	1* (2019) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : भारत के आवेदकों की आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कि आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तारीख है (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रखंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप खंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)

(7)	(8)	(9)
<p>आवश्यक:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री ; और</p> <p>(ii) सरकारी सेक्टर अथवा पुरातत्व अथवा धरोहर स्थल में सिविल इंजीनियरिंग के कार्यों योजना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव के पर्यवेक्षण में दस वर्ष का अनुभव</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(i) सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री</p> <p>(ii) प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण में अनुभव</p> <p>टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>	आयु: नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष

<p>टिप्पण 2. अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में अनुभव से संबंधित अर्हता, लिखित रूप में कारणों को लेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, चयन के किसी स्तर पर यदि संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, शिथिल की जा सकती है।</p>	
---	--

(10)	(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति: ऐसे अधीक्षण पुरातत्व इंजीनियर जिन्होंने स्तर-11 वेतन मैट्रिक्स श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित)</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर-11 वेतन मैट्रिक्स में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा भाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</p> <p>(2) सचिव/संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य</p> <p>(3) महानिदेशक/अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति:</p> <p>(1) सचिव, संस्कृति मंत्रालय - अध्यक्ष</p> <p>(2) अपर महानिदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</p> <p>(3) संयुक्त महानिदेशक (संरक्षण), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</p>	<p>सीधी भर्ती तथा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) भर्ती पर नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. 3-3/2017-योजना एवं एचआरडी/आरआर]

राकेश सिंह लाल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2019

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class I and Class II gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the post of Assistant Superintending Archaeological Engineer at serial number 23, Deputy Superintending Archaeological Engineer at serial number 36, Superintending Archaeological Engineer at serial number 40 and Director Conservation at serial number 32, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'A' and 'B' Gazetted posts in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Conservation Cadre (Group 'A' and Group 'B' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. ___The method of recruitment to the post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. —No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such and other party to the marriage and there are other ground for doing so, exempting person from the operation to this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Superintending Archaeological Engineer	27* (2019) (*subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Level 7	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion

In case of recruitment by Promotion or Deputation/absorption, grades from which Promotion or Deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public service commission to be consulted in making Recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Senior Conservation Assistant in level 6 in the pay matrix with five years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in archaeological conservation.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee;</p> <p>(1) Additional Director General (Administration) Archaeological Survey of India - Chairman</p> <p>(2) Joint Director General (Conservation) or Director (Conservation) Archeological Survey of India - Member</p> <p>(3) Director (Administration) or Deputy Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Superintending Archaeological Engineer	25* (2019) (*subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 10	Selection	Not exceeding 35 years Note 1: Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Bachelors degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) Three years' experience in planning, execution and maintenance of civil engineering works in Government sector or any Archaeological or heritage site.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational qualifications to the extent indicated in column (11).</p>	Two years	60% by promotion failing which by deputation (including short term contract); and 40% by Direct Recruitment.

Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>Assistant Superintending Archaeological Engineer in Level 7 in the pay matrix with three years' regular service in the grade and possessing at least a qualification of Diploma in Civil Engineering and having successfully completed two to four weeks training in archaeological conservation.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short-term Contract):</p> <p>Officers under Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 7 in the pay matrix or equivalent in the</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee;</p> <p>(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman</p> <p>(2) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Culture - Member</p> <p>(3) Director General/Additional Director General, Archaeological Survey of India. - Member</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee;</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Culture - Chairman</p> <p>(2) Director General, Archaeological Survey of India - Member</p> <p>(3) Joint Director General, Archaeological Survey of India - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

<p>parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Superintending Archaeological Engineer	9* (2019) (*subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11	Selection	<p>Not exceeding 40 years</p> <p>Note 1: Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p>Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute;</p> <p>(ii) eight years' experience in planning, execution and supervision of civil engineering works in Government sector or any Archaeological or heritage site.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	<p>Age: No Educational qualifications: Yes</p>	<p>two years for direct recruits</p>	<p>By promotion failing which by deputation (including short term contract) failing both by Direct Recruitment.</p>

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:</p> <p>DeputySuperintending Archaeological Engineer in level 10 in the pay matrix with five years' regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks of training in archaeological conservation.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee;</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Culture - Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Culture - Member (3) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Member (4) Joint Director General (Conservation) - Member Archaeological Survey of India</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee;</p> <p>(1) Secretary, Ministry of Culture - Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Culture - Member (3) Joint Director General (Conservation), Archaeological Survey of India - Member (4) Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member</p>	<p>Consultation with UPSC necessary while making Direct Recruitment and appointing an officer on Deputation (ISTC).</p>

<p>Deputation (Including Short-term Contract): Officers under Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 10 in the pay matrix: in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment, in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Director (Conservation)	1* (2019) (*subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2: The crucial date

					for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:</p> <p>(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) ten years experience in planning, execution and supervision of civil engineering works in Government sector or in any Archaeological or heritage site.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Masters degree in Civil Engineering;</p> <p>(ii) experience in preservation of ancient monuments.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>	No	one year for direct recruits	By promotion failing which by deputation (including short term contract) and failing both by Direct Recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Superintending Archaeological Engineer in level 11 in the pay matrix with five years' regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short-term Contract): Officers under Central Government or State Government or Union territory administration or Public Sector Undertakings or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee; (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Secretary/Joint Secretary, Ministry of Culture - Member (3) Director General/Additional Director General Archaeological Survey of India - Member</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee; (1) Secretary, Ministry of Culture -Chairman (2) Additional Director General (Administration), Archaeological Survey of India - Member (3) Joint Director General (Conservation), Archaeological Survey of India - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on Deputation (ISTC)</p>

cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--

[F. No. 3-3/2017-Pig & HRD (RR)]

RAKESH SINGH LAL, Addl. Director General (Administration)